

8/10/25

वकील उभय पक्ष उपस्थित/ पत्रावली का अवलोकन
किया गया/ अवलोकन से जाते जाया है
कि यह मुन्ताकिली प्रथम पक्ष सुष्मी भारती
गुप्ता सहायक कलक्टर उद्योग के विकस
पेश किया गया था

अब सुष्मी भारती गुप्ता का स्थानान्तरण
पदस्थापन सहायक कलक्टर उद्योग के पद
से अनन्य हो गया है वही स्थिति में
यह मुन्ताकिली प्रथम पक्ष स्वतः ही
उभावहीन हो जाता है।

अतः प्रकरण उभावहीन होने के कारण
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है
पत्रावली फ़ैसल सुमार हो बाक़ कार्यवाही
दोखिल इफ़्तदर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर